सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
ज्येष्ठ 19, सोमवार, *शाके* 1947- जून 09, 2025	
Jyaistha 19, Monday, Saka 1947- June 09, 2025	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2)विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 02, 2025

संख्या प.4(11) कृषि/ग्रुप-2/2016 :-जैसा कि राजस्थान सरकार कृषि (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर से जारी अधिसूचना दिनांक 28.11.1980 के द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति, रानी की स्थापना की गई थी।

अब कृषि उपज मण्डी समिति, रानी द्वारा मण्डी क्षेत्र के नगरपालिका सादडी में फल फूल गौण मण्डी घोषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 की धारा 5 की उपधारा 2 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार सादडी में फल फूल में गौण मण्डी यार्ड स्थापित करने की घोषणा करती है जिसकी सीमाएं निम्न प्रकार से होंगीः-

पूर्व में - सादडी से देसूरी स्टेट हाईवे नम्बर 16

पश्चिम में - सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 6754/6651

उत्तर में - सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 6754/6651

दक्षिण में- सुथारों का गुडा के स्कूल का खेल मैदान

फल फूल गौण मण्डी यार्ड सादडी की उक्त सीमाओं के अन्दर निर्मित भवन, दुकाने एवं भू-भाग आदि सम्मिलित होगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

अशोक कुमार मीणा,
शासन उप सचिव।

6271

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।